कार्यालय अंचल अधिकारी, [illegible]

आदेश फलक

अभिलेख के स० नं०— 26 [illegible] / 18-19

[illegible] बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 [illegible]

[illegible]

निदेश के क्रम सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की टिप्पणी
13.10.2020	झारखण्ड सरकार के [illegible] 2074, रा० दिनांक 13.05.2016 [illegible] के अनुरूप मुख्य निदेशक भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०–03 भू०सु०नि०–119/85/2308/रा० दिनांक– 03.09.1985 एवं [illegible] राजस्व विभागीय परिपत्र सं० 914/रा०, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच [illegible] की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :– मौजा [illegible] थाना नं० 69 खाता नं० 55 खेसरा नं० 72, 165, 652, 510, 494, 567 रकबा 6.20 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनाबाद बिहार (झारखण्ड) के खाता की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी– II के जिल्द संख्या 2 के पृष्ठ संख्या 82 पर जमाबंदी रैयत [illegible] [illegible] पिता/पति [illegible] के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के [illegible] जमाबंदी को [illegible] किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध [illegible] बंदोबस्ती के आधार पर/जाली हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है [illegible] निजी लाभ एवं राज्य को क्षति [illegible] करना है। [illegible] उपर्युक्त [illegible] से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त [illegible] की जमीन की [illegible] जमाबंदी अवैध [illegible] है [illegible] बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना [illegible] है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को [illegible] [illegible] [illegible] बिहार [illegible] भूमि सुधार अधिनियम 1950 [illegible] [illegible] किया जाय। [illegible] 13/10/2020	

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत निकोदिम मुण्डा पिता आनन्द मसीह मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से सबंधित साक्ष्य के रूप में सरकारी लगान रसीद सं0 023610 वर्ष 2014–15 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है,

जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा इटटे, थाना न0 09 के सर्वे खतियान में खाता सं0 55 प्लॉट सं0 92, 108, 631, 505, 497, एवं 487, रकबा क्रमशः 0.03, 0.02, 0.39, 0.56, 3.13, एवं 0.17 एकड़ कुल रकबा 4.30 एकड़ भूमि गैरमजुरूआ खास दर्ज है।

राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ट सं0 84 में निकोदिम मुण्डा पिता आनन्द मसीह मुण्डा के नाम से दर्ज है; भूदान पंजी में निकोदिम मुण्डा पिता आनन्द मसीह मुण्डा दर्ज है किन्तु सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर संबंधित पक्ष का लगभग 45 वर्षो से अधिक समय से दखल–कब्जा है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं0 55 प्लॉट सं0 92, 108, 631, 505, 497, एव 487, रकबा क्रमशः 0.03, 0.02, 0.39, 0.56, 3.13, एवं 0.17 एकड़ कुल रकबा 4.30 एकड़ भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है।

लेखापित संशोधित।

अंचल अधिकारी
कर्रा।

अंचल अधिकारी
कर्रा।